

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर  
 राजवीर बगौरा बनाम उपखण्डाधिकारी सैपऊ बगौरा

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 आर0टी0ए0 मुकदमा नम्बर :- 6 सन् 2020  
 आरसीएमएस नं0:-2020/000/0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुवे
04.03.20	<p>प्रार्थीगण राजवीर बगौरा की ओर से एक प्रार्थना पत्र श्री विमल शर्मा एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 235 आर0टी0ए0 के तहत अप्रार्थीगण उपखण्डाधिकारी सैपऊ व अन्य के विरुद्ध पेश किया। प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। उपखण्डाधिकारी सैपऊ को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाई जाकर उनकी टिप्पणी प्राप्त की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण एवं प्राप्त करने टिप्पणी आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.03.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(आर0 के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर</p>	<p>94                  4.3.2020                  मोटि                  97-98                  4.3.20</p>
14.7.2020	<p>कोरोना महामारी के फैलाव के कारण पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। वकील प्रार्थीगण आव्हित। फौजदार बरकर आव्हित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ की हरियेड लम्बेरा आर0एमएस के विरुद्ध पेश किया गया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्वामान्तरण हो चुका है। अतः प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाते चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र की सारिज बिग्रे जाने का निकेदन किया है।</p>	<p>11/7/20</p>

पञ्चावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र  
श्री हरिसिंह त्रिवेदी आर० ए० ए० तत्कालीन उपखण्ड  
आधिकारी केपुत्र के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था।  
उनका स्थानान्तरण हो चुका है। अतः इस प्रार्थना  
पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता  
है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।  
प्रकरण फंस नशुआर हो। बाद तकगील हाविल दफ्तर  
हो। नम्बर से कम किया जावे।

(आर० के० जायसवाल)  
जिला कलक्टर, धौलपुर